न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 61/2019

प्रार्थी :– 1. पुखदान पुत्र शंकरलाल जी कौम जाट साकिन किटनोद तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. दुदाराम पुत्र वरदारामजी
2. भंवरलाल पुत्र मांगरामजी
3. गुलाराम पुत्र मंगारामजी
4. पूनमाराम पुत्र मांगारामजी
5. शंकर पुत्र मांगारामजी
6. दूदाराम पुत्र प्रतापारामजी सभी जातियान मेगवाल
7. कालूसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत
8. अणतराम पुत्र मांगीलाल
9. अमराराम पुत्र मांगीलाल
10. नरपतलाल पुत्र मांगीलाल
11. दैवी बेवा मांगीलाल
12. नाराणाराम पुत्र कालूरामजी
13. बाबूलाल पुत्र कालूरामजी
14. मंगलाराम पुत्र वीराजी सभी जातियान मेगवाल
15. डामराराम पुत्र पेमाजी
16. कौलाराम पुत्र पेमाजी
17. डायाराम पुत्र पेमाजी
18. विशनाराम पुत्र पेमाजी
19. करनाराम पुत्र पेमाजी
20. आम्बाराम पुत्र पेमाजी
21. खुशालाराम पुत्र विरदारामजी
22. रूपाराम पुत्र विरदारामजी
23. दानाराम पुत्र सोनारामजी
24. हरीराम पुत्र सोनारामजी
25. मादाराम पुत्र सोनारामजी
26. नेमाराम पुत्र सोनारामजी
27. हिमताराम पुत्र दयारामजी
28. रूघाराम पुत्र दयाराम
29. नेनाराम पुत्र मुकनाराम
30. भूराराम पुत्र गणेशाराम
31. चतराराम पुत्र गणेशाराम
32. चेलाराम पुत्र गणेशाराम सभी जातियान चौधरी नि0 किटनोद तह0 पचपदरा
33. राजस्थान सरकार [illegible] तहसीलदार पचपदरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:41:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखम [illegible] करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री चेलाराम प्रार्थीगण वकील

'आदेश'

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा किटनोद तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 950/449 रकबा 08.09 बीघा, खसरा संख्या 951/449 रकबा 15.00 बीघा व खसरा संख्या 964/453 रकबा 07.10 बीघा मे आई हुई है । प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 32 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 32 प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि की सीमाओ की बाउण्ड्री को लेकर भारी संशय व्याप्त है। विप्रार्थीगण खातेदारी भूमि के सेढा माठ को लेकर विवाद उत्पन्न करने में आमादा है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दिनांक 24.05.2019 दर्ज कर विप्रार्थीगण सम्मन जारी किया गया । विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस रसीदे पेश होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी ।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थी ने दिनांक 26.03.2019 की सीमाकंन मौका फर्द रिपोर्ट पत्रावली में पेश की गयी। सीमांकन मौका फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

अतः प्रार्थीगण के आवेदन [illegible] की खातेदारी का खेत सरहद मौजा किटनोद तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 950/449 रकबा 08.09 बीघा, खसरा संख्या 951/449 रकबा 15.00 बीघा व खसरा संख्या 964/453 रकबा 07.10 बीघा विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबंदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक आसोतरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि नेखमबंदी करने से पूर्वएक तारीख निश्चित कर दोनो पक्षकारान को सूचित

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:41:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करवा कर वे दोनो पक्षों की उपस्थिति में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों मौका कमिश्नर शुल्क एक हजार रूपये नियत किये जाते है। जिसे प्रार्थी कमिश्नर शुल्क अदा करें । पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

आज दिनांक 21.01.2021 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:41:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner